# मुख्य वनसंरक्षक अधिनियम, 1980 के तहत वनभूमि प्रत्यावर्तन के प्रस्ताव

(भारत सरकार के राजपत्र अधिसूचना अनुसार)

भाग–3

(संबंधित वनसंरक्षक द्वारा भरा जाना है)

---

14. स्थल जहां की वन भूमि शामिल की गई है क्या इसका संबंधित मुख्य वनसंरक्षक ने निरीक्षण किया है। (हॉ/नही) यदि हॉ तो निरीक्षण की तारीख और किए गए प्रक्षेणों को निरीक्षण नोट के रूप में संलग्न करें।

आवेदक मे. परीयोजना निदेशक, भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण, ईकाई कटघोरा वनमंडल में आवेदित संरक्षित वनभूमि 37.209 हे., नारंगी वनभूमि 17.340 हे एवं राजस्व वनभूमि 29.093 कुल 83.642 हे. बिलासपुर–कटघोरा राष्ट्रीय राजमार्ग कमांक 111 (पथरापाली से कटघोरा) चौड़ीकरण स्थल का निरीक्षण दिनांक 05.12.2019 को किया गया है।

15. क्या संबंधित मुख्य वनसंरक्षक भाग (ख) में दी गई सूचना और उप वनसंरक्षक के सुझावों से सहमत है।

हाँ

16. प्रस्ताव की स्वीकृति या अन्यथा के बारे में संबंधित मुख्य वनसंरक्षक की विस्तृत कारणों के साथ विशेष सिफारिशें।

आवेदक मे. परीयोजना निदेशक, भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण, ईकाई कटघोरा वनमंडल में आवेदित संरक्षित वनभूमि 37.209 हे., नारंगी वनभूमि 17.340 हे एवं राजस्व वनभूमि 29.093 कुल 83.642 हे. बिलासपुर–कटघोरा राष्ट्रीय राजमार्ग कमांक 111 (पथरापाली से कटघोरा) चौड़ीकरण स्थल का निरीक्षण दिनांक 05.12.2019 को किया गया है।

राष्ट्रीय राजमार्ग क्रमांक 111 में प्रभावित क्षेत्रों में आवेदित क्षेत्र में सेड्यूल–I के वन्यप्राणियों का लगातार आवागमन होता है, प्रभावित वनक्षेत्र में हाथी समय समय पर विचरण करता है । प्रभावित वनक्षेत्र में वन्यप्राणियों के प्रगमन हेतु वनमण्डलाधिकारी द्वारा चयनित पाली परिक्षेत्र के कक्ष क्र. पी.143 चटुवामौना एवं बेलटिकरी राजस्व वनक्षेत्र में 03 ओवरपास आवेदक के व्यय से निर्माण किया जाना प्रस्तावित है जिससे वन्यप्राणी मानव द्वन्द में कमी आ सके। वन्यप्राणियों एवं पक्षियों के प्रबंधन एवं संवर्धन हेतु वन्यप्राणी योजना क्रियान्वयन किया जाना प्रस्तावित करते हुए वनभूमि प्रत्यावर्तन की अनुसंशा की जाती है।

(अनिल सोनी)
मुख्य वन संरक्षक
बिलासपुर वृत्त बिलासपुर



Scanned by CamScanner